भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 496
मंगलवार, 06 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सीआरसीएस- सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को आरंभ करना

†496. श्रीमती डिम्पल यादवः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल कई तकनीकी मुद्दों के कारण प्रतिदाय दावों को पंजीकृत करने में विफल रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सीआरसीएस - सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में प्रतिदाय दावे जमा न करने की शिकायतें मिली हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हल की गई हैं;
(घ) क्या सरकार का प्रतिदाय के आवेदन ई-मेल और भारतीय डाक के माध्यम से प्राप्त करने का विचार है क्योंकि कई निवेशक दूरदराज के क्षेत्रों से हैं और उनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड़) अब तक राज्य-वार कितने दावे आवेदन पंजीकृत हुए हैं और उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है**,** जिन्हें सेबी से प्राप्त सहारा सहकारी समिति फंड से प्रतिदाय की पहली किस्त का भुगतान किया गया है; और
(च) मंत्रालय द्वारा निवेशकों को अब तक लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (च): सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि.) सं. 191/2002 (पिनाक पानी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर की गई अंतरवर्ती याचिका (Interlocutory Application) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि:

> *"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies,*

which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.

(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुसरण में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियां, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन युनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने वैध जमा के रिफंड के लिए दावों की प्रस्तुति हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोटल" https://mocrefund.crcs.gov.in नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज-रहित है तथा न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से की जा रहा है ।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमाराशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर संसाधित किया जा रहा है । भुगतान सीधा प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है । वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध मात्र 10,000/- रुपए तक का भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधा किया जा रहा है ।

वर्तमान में, दावों की प्रस्तुती में कोई तकनीकी समस्या या इंटरनेट एक्सेस की समस्या नहीं हो रही है, जैसा कि पंजीकरण की विशाल संख्या से उजागर है । इसके अलावा, पोर्टल पर जमाकर्ता के आवेदन में पायी गई किसी कमी की दशा में, उन्हें ऐसी कमी की संसूचना दी जाती है ताकि वे दिनांक 15.11.2023 को शुभारंभ किए जा चुके पुन:प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुन:प्रस्तुत कर सकें ।

आवेदनों का राज्य-वार वितरण उपलब्ध नहीं है तथापि, "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" पर लगभग 1.21 करोड़ आवेदन पंजीकृत हुए हैं और दिनांक 31.01.2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 2,77,607 जमाकर्ताओं को 258.47 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है ।

*****